



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 26 मार्च, 2024

थाना छतारी

02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान, अवैध असलहा, कारतूस व घटना मे प्रयुक्त ऑटो बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 25/26-03-2024 की रात्रि में स्वाट टीम देहात व थाना छतारी पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम मोहिद्दीनपुर भट्टे के पास पण्ड्रावल अतरौली रोड से दो शातिर चोरो को चोरी के सामान, अवैध असलहा, कारतूस व घटना मे प्रयुक्त एक ऑटो सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छतारी पर मुअसं- 105/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मौ० रफीक उर्फ कल्लू पुत्र लतीफ खां निवासी मौ० संजय नगर थाना छर्ना जनपद अलीगढ़।
2. मोहित शर्मा पुत्र नीटू शर्मा निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. 03 मोबाइल फोन, 09 चार्जर व 10 पीस एयरफोन, 09 पीस USB डाटा केबल व 10 पीस फास्ट स्पीट कार्ड रीडर, 159 पीस टैम्पर ग्लास भिन्न भिन्न मॉडल व 76 पीस मोबाइल बैक कवर भिन्न भिन्न रंग
2. 02 किलो ताँबे का तार, 01 भगौना एल्मुनियम
3. 01 ऑटो नं० UP-81DT-0897 (घटना मे प्रयुक्त)
4. 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 14.02.2024 को थाना छतारी क्षेत्र के छतारी दौराहे से एक मोबाइल की दुकान में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना छतारी पर मुअसं- 53/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है। उक्त घटना से सम्बन्धित 03 मोबाइल फोन व मोबाईल का अन्य सामान बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 21.02.2024 को थाना सलेमपुर क्षेत्र के जंगल ग्राम याकूबपुर से मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना सलेमपुर मे मुअसं- 37/24 धारा 427/457/380 भादवि पंजीकृत है। उक्त घटना से सम्बन्धित 01 किलो ताँबे का तार बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 10.02.2024 को थाना सलेमपुर क्षेत्र के संविलियम विद्यालय सुरजावली में मिड-डे मिल रसोई घर से चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं 25/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। उक्त घटना से सम्बन्धित 01 भगौना एल्मुनियम बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 11/12.02.2024 की रात्रि में थाना सलेमपुर क्षेत्र के जंगल ग्राम बडौदा से मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 27/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। उक्त घटना से सम्बन्धित एक किलो ताँबे का तार बरामद किया गया है।

अभियुक्त मौ० रफीक उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 53/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 27/24 धारा 380/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 25/24 धारा 380/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 37/24 धारा 457/380/427/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त मोहित शर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 53/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 27/24 धारा 380/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।
3. मुअसं- 25/24 धारा 380/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।
4. मुअसं- 37/24 धारा 457/380/427/411 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम देहात-

1. श्री संजय वर्मा प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम देहात
2. उ0नि0 वरूण कुमार
3. है0का0 महेश कुमार, है0का0 निकुंज कुमार, है0का0 अरूण कुमार, का0 रोहित, का0 आकाश

गिरफ्तार करने वाली थाना छतारी पुलिस टीम-

1. श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक छतारी
2. उ0नि0 अशोक कुमार
3. है0का0 राशद अली, का0 दिलवर खान, का0 जितेन्द्र भगौर



मीडिया सैल बुलन्दशहर